न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. मोहनलाल चौधरी पुत्र वेलाराम चौधरी, मैनेजर, मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़–सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः ग्राम मुण्डारा, तह0 बाली, जिला– पाली
2. जेठाराम पुत्र श्री हीराराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़–सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, स्थाई पताः वेरा दादाजी वाला, ग्राम मुण्डारा, तह0 बाली, जिला– पाली

F.S.S.Act Case No. 62/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

–: निर्णय :– **दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 30–4–2025 को मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़–सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल चौधरी पुत्र वेलाराम चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना संख्या S-2679, खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./738/Act/2025/738 दिनांक 22–3–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14–10–2025 को प्रतिवादी संख्या 2 (जेठाराम पुत्र श्री हीराराम) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी जेठाराम पुत्र हीराराम द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 31–10–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन से यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 30–4–2025 को समय 06–15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही पर गये, वहां पर मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी मोहनलाल चौधरी पुत्र वेलाराम चौधरी उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान होटल के अन्दर एक एल्युमिनियम के भिगोने में लगभग 6 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी को भरकर दी एवं मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमसना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही के अन्दर एल्युमिनियम के भिगोनें में आमजन के उपयोग हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ दही (लुज) लगभग 6 किलोग्राम में से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) को प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी से उक्त गवाह के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 64/— (अक्षरे रुपये चौसठ मात्र) प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीद शुदा दही (लुज) को प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बातलों में बराबर बराबर (200—200 ग्राम) मात्रा में डाला एवं चारों नमूना बोतलों में 16—16 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों नमूना बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार का लेबल पर नमूना लेने की दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ का विवरण दही (लुज) एवं अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-2579 आदि अंकित कर लेबलों पर प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल चौधरी पुत्र वेलाराम व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना बोतलों पर पर नियमानुसार गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना बोतलों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दही (लुज) की चारों नमूना बोतलों को विधिवत सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दही (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बन्द किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02—05—2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक

......पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

30—04—2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी से खाद्य पदार्थ दही (लुज) (नमूना संख्या S-2579) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये दही (लुज) के नमूना संख्या S-2579 की खाद्य विश्लेषक, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./738/Act/2025/738 दिनांक 22—03—2025 में खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना संख्या S-2579, अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही के प्रोपराईटर व खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 (दो) जेठाराम पुत्र श्री हीराराम, निवासी— वेरा दादाजी वाल, मुण्ड़ार, तहसील— बाली, जिला— पाली है एवं प्रतिवादी मोहनलाल पुत्र वेलाराम चौधरी उक्त होटल में मैनेजर की हैसियत से कार्य करता है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी जेठाराम पुत्र श्री हीराराम की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी मैनेजर मोहनलाल चौधरी पुत्र वेलाराम चौधरी द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) का खाद्य पदार्थ दही (लुज) (नमूना संख्या S-2579) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जेठाराम पुत्र श्री हीराराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही, स्थाई पताः वेरा दादाजी वाला, ग्राम मुण्डारा, तहसील— बाली, जिला— पाली पर राशि रुपये 25,000/— (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी जेठाराम पुत्र श्री हीराराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स प्रियंका होटल, पेट्रेल पम्प के सामने, एन.एच. 27, भिमाना, आबूरोड़—सरुपगंज हाईवे रोड़, तहसील— पिण्डवाडा, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)